PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Navbharat Times, Delhi
Tuesday, 11th October 2011, Page: 6
Width: 12.46 cms Height: 5.65 cms, Ref: pmin.2011-10-11.41.32

विरोध के बाद ड्रग एक्ट का नया शेड्यूल वापस

वरिष्ठ संवाददाता | नई दिल्ली

ड्रग एक्ट में नया शेड्यूल एच एक्स लाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। इस फैसले पर दवा व्यापारियों ने खुशी जाहिर की है। उनका कहना है नया शेड्यूल आम लोगों के हक में नहीं था, यही वजह है कि देश भर में इसका विरोध चल रहा था। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष कैलाश गुप्ता का कहना है कि एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के नाम पर प्रस्तावित इस नियम से दवाओं की उपलब्धता

सरकार के इस फैसले पर दवा व्यापारियों ने खुशी जाहिर की है

प्रभावित होती। इससे इलाज का खर्च बढ़ जाता और देश के 90 पर्सेंट दवा विक्रेताओं को या तो रोज कानून का उल्लंघन करना पड़ेगा या अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा। नए शेड्यूल के पार्ट ए के अनुसार कुछ दवाएं केवल सरकारी या निर्धारित अस्पतालों में ही उपलब्ध होंगी। शेड्यूल के पार्ट बी के अनुसार लगभग 74 प्रकार की एंटीबायोटिक्स के लिए डॉक्टरों को डबल पर्चा बनाना पड़ेगा, जिसमें से एक रेकॉर्ड के लिए दवा विक्रेता को एक साल तक अपने पास रखना पड़ेगा, जो कि बेहद मुश्किल काम है।